

भर्ती सूचना

हरियाणा पुलिस अधिनियम-2007 की धारा-21 के तहत
जींद पुलिस में 51 विशेष पुलिस अधिकारियों के चयन
हेतु प्रक्रिया
(फोन नं :- 01681-1245711)

| पद का नाम | पदों की संख्या | सारणी | तिथि व चयन |
|---------------------------|----------------|--|---------------|
| विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) | रिक्त पद-51 | कार्यालय जिला निरीक्षक | 19.03.2025 से |
| | | पुलिस लाईन जींद में आवेदन करने की तिथि | 21.03.2025 |
| | | साक्षात्कार | 25.03.2025 |

जिला पुलिस जीन्द में 51 स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) / विशेष पुलिस अधिकारियों की भर्ती के लिये दिनांक 21/03/2025 तक आवेदन कर सकते है।

सेना एवं अर्धसैनिक बल के सेवानिवृत्त कर्मचारी, HISF बटालियन के हटाये गये कर्मचारी तथा 2004 में हरियाणा शस्त्र बल (HAP) के हटाए गये कर्मचारियों में से जिला जीन्द पुलिस में विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) के तौर पर भर्ती किया जायेगा। भर्ती के इच्छुक आवेदक निम्नलिखित शर्तों अनुसार दिनांक 21/03/2025 तक पुलिस लाईन जीन्द में आवेदन कर सकते है:

1. विशेष पुलिस अधिकारियों (SPO) की भर्ती के लिये हरियाणा के किसी भी जिले का रिहायशी या पड़ोसी राज्यों के रिहायशी भर्ती के इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते है।
2. आवेदन दिनांक 21/03/2025 तक व्यक्तिगत रूप से पुलिस लाईन जीन्द में उपस्थित होकर सम्पर्क कर सकते है, और अपने आवेदन पत्र जमा करवा सकते है। योग्य उम्मीदवार /आवेदन अपने साथ 4 फोटो पासपोर्ट साईज के, शिक्षा, सेवा से सम्बन्धित प्रमाण पत्र, मूल रिहायशी प्रमाण पत्र व सेवानिवृत्ति के समय प्रदान किया गया मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र इत्यादि दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से पुलिस लाईन जीन्द में भर्ती कमेटी के सदस्यों से सम्पर्क करे। योग्य उम्मीदवार अपने साथ उपरोक्त सभी दस्तावेजों की मूल प्रति भी लेकर आये।

3. चयनित उम्मीदवार को 20.000/ रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जायेगा। चयनित उम्मीदवार के वेतन से ड्यूटी के दौरान हरियाणा राज्य परिवहन में निशुल्क यात्रा करने के सम्बन्ध में 120/- रुपये प्रतिमाह काटा जायेगा।

4. सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिये आवश्यक है उनकी आयु 25 साल से 50 साल तक के बीच की होनी चाहिये।

5. किसी भी उम्मीदवार को अनुशासनहीनता या मेडिकल के आधार पर पूर्व में नौकरी से न हटाया गया हो।

6. भूतपूर्व सैनिक द्वारा सेना में कम से कम 5 वर्ष तक सेवाएं दी गई होनी चाहिये।

7. चयनित SPO/ कर्मचारी एक वर्ष की अवधि के लिये 20.000/- रुपये के मासिक मानदेय पर रखे जायेगे। इस राशि को विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) को नकद ना देकर उनके बैंक खाते में जमा किया जायेगा।

8. चयनित उम्मीदवारों को भर्ती के समय दो जोड़ा वर्दी, एक जोड़ा जूते और अन्य आवश्यक वर्दी से सम्बन्धित वस्तुओं के लिए 3000 रुपये केवल एक बार दिये जायेगे।

9. सरकारी दौरे पर 150 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से TA/DA दिया जायेगा।

10. आकस्मिक अवकाश हरियाणा पुलिस के सिपाही के समान दिया जायेगा। ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर 50 लाख रुपये अनुग्रह राशि के तौर पर दिये जायेगे।

11. भूतपूर्व सैनिक की भर्ती के समय कोई लिखित परीक्षा तथा शारीरिक माप तौल नहीं होगा।

12. राज्य सरकार द्वारा जारी हिदायतों अनुसार अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

13. विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) को आपातकालीन स्थिति में हरियाणा राज्य के किसी भी जिले में तैनात किया जा सकता है।

14. चयनित विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) को 15 दिन का पुलिस लाईन जीन्द में पुलिस ड्यूटी के बारे में प्रशिक्षण दिया जायेगा ताकि इनको कानून व्यवस्था ड्यूटी, गार्ड ड्यूटी, पैट्रोलिंग, यातायात और पुलिस से सम्बन्धित अन्य ड्यूटियों पर तैनात किया जा सके।

15. इस सम्बन्ध में हरियाणा पुलिस विभाग द्वारा समय-2 पर जारी हिदायते लागू होगी।

16. चयन के लिये साक्षात्कार में आने वाले उम्मीदवारों को कोई यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता (T.A./D.A) नहीं दिया जायेगा।

हस्ता/-पुलिस अधीक्षक,
जीन्द।